न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS

अपील संख्या : 94 / 2018

1. तारामणी पुत्री श्रीनारायण, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
2. मणी देवी पुत्री श्रीनारायण, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
3. उगन्ता देवी पुत्री श्रीनारायण, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. सुरेश पुत्र श्री भोलाराम, जाति—जाट, निवासी—सिंगोद रोड, खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
2. रमेश पुत्र श्री बोदूराम, जाति—जाट, निवासी—सिंगोद रोड, खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
3. गणेश पुत्र श्री सांवरमल, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
4. राजू देवी पुत्री श्री सांवरमल, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
5. गायत्री देवी पत्नी गोपाल पुत्र सावरमल, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
6. कपिल पुत्र स्व. श्री गोपाल, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
7. नेहा पुत्री स्व. श्री गोपाल, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
8. कीर्ति पुत्री स्व. श्री गोपाल, नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती गायत्री देवी पत्नी स्व. श्री गोपाल, जाति—पुरोहित, निवासी—खेजरोली, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
9. तहसीलदार, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा सहायक भू—प्रबंध अधिकारी, चौमू दिनांक 27.05.1993 नामा0 संख्या 643 ग्राम खेजरोली)

Scanned by CamScanner

उपस्थितः—
1. श्री घीसालाल कुमावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री एस.के.यादव, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगा0 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 30.12.2019

यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.1993 सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, चौमू बाबत् नामान्तरकरण सं0 643 ग्राम खेजरोली तहसील-चौमू अनुचित व अवैध रूप से स्व0 श्री नारायण के जायज वारिसों में से तीन पुत्रियों के होते हुए एक मात्र पुत्र सांवरमल के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने पर प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा प्रभारी अधिकारी भू.अ. शाखा, कलक्ट्रेट, जयपुर से वादग्रस्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई।

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण में वर्णित आराजियात के 1/4 हिस्से का काबिज रिकार्डेड खातेदार-काश्तकार अपीलान्ट्स के पिता श्री नारायण थे। श्री नारायण का वर्ष 1993 में स्वर्गवास हो गया। श्री नारायण के स्वर्गवास के समय उसकी तीन पुत्रियां अपीलान्ट्स एवं एक पुत्र सांवरमल श्री नारायण के उत्तराधिकारी थे अर्थात् अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स सं0 3 लगा0 8 एक ही खानदान के व्यक्ति है। श्री नारायण के स्वर्गवास होते ही श्री नारायण के उक्त हिस्से की आराजियात श्री नारायण के वारिसान अपीलान्ट्स पुत्रियां एवं पुत्र सांवरमल में बहिस्सा बराबर निहित हो गई। श्री नारायण के स्वर्गवास के पश्चात् श्री नारायण के हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 को अपीलान्ट्स व मृतक सांवरमल की पत्नी उषा देवी, स्वर्गीय गोपाललाल, गणेश, राजू देवी पुत्र-पुत्रियां स्व0 सांवरमल के नाम तस्दीक कर दिया। अपीलान्ट्स के पिता श्री नारायण के स्वर्गवास के पश्चात् श्री नारायण के पुत्र सांवरमल ने राजस्व कारकूनान से साज कर षड्यन्त्र कर अपीलान्ट्स को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 तस्दीक करवा लिया, जिसका की राजस्व भू-अभिलेखों में अमल नही हुआ है। अपीलान्ट्स हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार श्री नारायण के प्रथम श्रेणी के वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल सांवरमल के नाम से तस्दीक कर क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर

Scanned by CamScanner

नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण अधीन अपील के आधार पर की गई बाद की कार्यवाही प्रभाव शून्य घोषित की जावें।

जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 का कथन है कि श्री नारायण पुत्र बालाबक्श का निधन दिनांक 19.05.1993 को हो जाने पर उनके पुत्र सांवरमल द्वारा दिनांक 27.05.1993 को राजस्व अभियान में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 के द्वारा स्व0 श्री नारायण के स्थान पर सांवरमल पुत्र श्री नारायण हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। सांवरमल द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचान 27.05.1993 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 को कर देने पर विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 के आधार पर सांवरमल पुत्र श्री नारायण के स्थान पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया। रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विधि अनुरूप क्रय की गई है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने कथन किया कि ग्राम खेजरोली, तहसील–चौमू, में वादग्रस्त नामान्तरकरण में वर्णित आराजियात के 1/4 हिस्से का काबिज रिकार्डेड खातेदार–काश्तकार अपीलान्ट्स के पिता श्री नारायण थे। श्री नारायण का वर्ष 1993 में स्वर्गवास हो गया। श्री नारायण के स्वर्गवास के समय उसकी तीन पुत्रियां अपीलान्ट्स एवं एक पुत्र सांवरमल श्री नारायण के उत्तराधिकारी थे। श्री नारायण के स्वर्गवास होते ही श्री नारायण के उक्त हिस्से की आराजियात श्री नारायण के वारिसान अपीलान्ट्स पुत्रियां एवं पुत्र सांवरमल में बहिस्सा बराबर निहित हो गई। अपीलान्ट्स के पिता श्री नारायण के स्वर्गवास के पश्चात् श्री नारायण के पुत्र सांवरमल ने राजस्व कारकूनान से साज कर षडयन्त्र कर अपीलान्ट्स को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 तस्दीक करवा लिया, जिसका की राजस्व भू–अभिलेखों में अमल नही हुआ है। अपीलान्ट्स हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार श्री नारायण के प्रथम श्रेणी के वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण केवल सांवरमल के नाम से तस्दीक कर क्षेत्राधिकार से बाहर जा कर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपीलान्ट्स स्वीकार की जाये। दौराने बहस अपीलान्ट्स के अधिवक्ता द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

Scanned by CamScanner

1. 1979 RRD 550
2. 2001 RBJ 133
3. 2008 RBJ 761
4. 1961 RRD 162
5. 1998 RBJ 43
6. 2002 RBJ 108

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर स्थित आराजी साबिक ख0नं0 1781,1791 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल ख0नं0 3945/8216, 3950/8397, 3948/8398, 3953, 3967 कुल किता 5 कुल रकबा 2.24 हे0 भूमि में श्री नारायण पुत्र बाला का हिस्सा 1/4 दर्ज थी। श्री नारायण पुत्र बालाबक्श का निधन हो जाने पर उनके पुत्र सांवरमल द्वारा दिनांक 27.05.1993 को राजस्व अभियान में विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 तस्दीक किया गया। जिसके द्वारा स्व0 श्री नारायण के स्थान पर उनके पुत्र सांवरमल पुत्र श्री नारायण हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। सांवरमल द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 को कर देने पर विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने समस्या समाधान अभियान 1998 को नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 के आधार पर सांवरमल पुत्र श्री नारायण के स्थान पर रेस्पोडेन्ट्स का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करवा लिया। इसके पश्चात् अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की वादग्रस्त भूमि को बैचान की बात करने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा विरोध किया गया तो अपीलान्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि उनके नाम दर्ज रिकार्ड होना बताने पर उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने पर उन्हे यह जानकारी हुई कि अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 24.12.2010 को श्री नारायण की खातेदारी दर्शाते हुए एक ओर नामान्तरकरण सं0 1347 दर्ज करवाया है। जबकि श्री नारायण के मृत्यु के पश्चात् दिनांक 27.05.1993 को नामान्तरकरण सं0 643 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि सांवरमल पुत्र श्री नारायण के नाम दर्ज चली आ रही है तथा सांवरमल द्वारा उनके जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि का बैचान अपीलान्ट्स को कर दिया था जिसका नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 के द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया था। दिनांक 24.12.2010 को श्री नारायण पुत्र बाला बक्श के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड नही थी, परन्तु फिर भी उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण सं0 1347 दर्ज किया गया है। विरासत का नामान्तरकरण एक ही व्यक्ति के दो–दो बार नही खोला जा सकता है। सक्षम न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण निरस्त किये जाने पश्चात् ही नवीन नामान्तरकरण

Scanned by CamScanner

खोला जा सकता है। तहसीलदार, चौमू द्वारा एक ही व्यक्ति के विरासत के नामान्तरकरण दिनांक 27.05.1993 व 24.12.2010 को खोलकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावें।

रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगा0 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 श्री नारायण के निधन होने पर उनके एकमात्र पुत्र सांवरमल के नाम तस्दीक किया गया था। तथ्यों की जानकारी होने पर पुनः नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 श्री नारायण के जायज वारिसान के नाम तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किया जाना उचित है।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स का यह कथन है कि वे मृतक श्री नारायण की जायज पुत्रियां है, परन्तु मृतक श्री नारायण के पुत्र सांवरमल द्वारा दिनांक 27.05.1993 को गुपचुप रूप से नामान्तरकरण सं0 643 तस्दीक करवा लिया। जिसका अमल राजस्व भू-अभिलेखों में नही हुआ है। इसके पश्चात् नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 को श्री नारायण के समस्त उत्तराधिकारीगण के नाम से तस्दीक करवाकर राजस्व अभिलेखों में करवाया गया है। उक्त नामान्तरकरण का ज्ञान अपीलान्ट्स को नही हुआ। किसान कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से वादग्रस्त आराजियात की जमाबंदी की नकल दिनांक 31.12.2016 को निकलवाने पर जमाबंदी में स्थगन आदेश का नोट अंकित होने पर उनके द्वारा न्यायालय अति. कलक्टर, तृतीय जयपुर में विचाराधीन अपील सं0 33/2013 सुरेश बनाम गोपाल का दिनांक 06.01.2017 को निरीक्षण किया तथा प्रकरण की जानकारी होने के पश्चात् अन्दर मियाद अपीलान्ट्स द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 अन्तर्गत मियाद अधिनियम डिले कन्डोन किया जाकर स्वीकार किया जाता है।

ग्राम खेजरोली तहसील चौमू स्थित वादग्रस्त आराजियात कुल रकबा 2.24 हे0 के 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार अपीलान्ट्स के पिता स्व0 श्री नारायण पुत्र बालाबक्श थे। श्री नारायण का स्वर्गवास वर्ष 1993 में हो गया। श्री नारायण के स्वर्गवास के समय उनकी तीन पुत्रियां अपीलान्ट्स एवं एक पुत्र सांवरमल जायज वारिसान थे, परन्तु तत्कालीन तहसीलदार द्वारा जायज वारिसान को बिना सुने

Scanned by CamScanner

एकपक्षीय तौर पर स्व0 श्री नारायण के एक मात्र पुत्र सांवरमल के पक्ष में विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 को तस्दीक कर दिया। जबकि तहसीलदार को नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक श्री नारायण के जायज वारिसान की जांच करनी चाहिए थी। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक होने के पश्चात् सांवरमल पुत्र स्व0 श्री नारायण द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 को कर दिया गया। जिसका नामान्तरकरण सं0 70 दिनांक 12.09.1998 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। इसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा श्री नारायण के जायज वारिसान मुताबिक सजरा नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 को तस्दीक किया गया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.05.1993 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 643 व दिनांक 12.09.1998 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 70 को सक्षम न्यायालय से खारिज करवाये बिना ही विधि विरूद्ध रूप से, मनमानी तौर पर नामान्तरकरण सं0 1347 दिनांक 24.12.2010 तस्दीक किया गया है। चूंकि स्व0 सांवरमल द्वारा उनके जीवनकाल में ही विधि विरूद्ध रूप से नामान्तरकरण सं0 643 दिनांक 27.05.1993 को तस्दीक कराकर वादग्रस्त भूमि को रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 को विक्रय कर दिया था तथा उक्त दोनों वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 643 एवं 70 वर्तमान में भी निरस्त नही किये गये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, नामान्तरकरण सं0 643 विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किया जाकर इसके पश्चात् की गई समस्त कार्यवाही/निर्णय भी निरस्त किये जाते है। प्रकरण तहसीलदार, चौमू को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनकर विधि सम्मत् सुसंगत तरीके से पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2020.02.14 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: